कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971 लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2 में डिप्लोमा इन इंजी0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजी0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके पास के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2210	अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मोहनलाल गंज, लखनऊ।	विधि इंजी0	120	120
			इंजीनियरिंग एण्ड कम्युनिकेशन इंजी0	60	60
			मैकेनिकल इंजी0	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सैमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2005 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 आर0पी0 सिंह)
सचिव

पृष्ठांक- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141 तद्दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, बैम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, मोहनलाल गंज, लखनऊ।

(डा0 आर0पी0 सिंह)
सचिव

कार्यालय,

अधिष्ठ, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2021/3537 लखनऊः दिनांकः 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा डीप्लोमा सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 06/08/2021 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2255-AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, MOHANLALGANJ, LUCKNOW

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/ फार्मेसी काउंसिल द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	90	90
3	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/एफसीआई द्वारा निर्धारित सभी नयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 36150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-

- 22500/2021/- प्रतिवर्ष शुल्क ही परीक्षा उपरान्त से प्रथम किया जायेगा, उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में शासन समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेश/देय प्रक्रमी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की स्वीकृति दी जाए होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उस अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था से संबद्ध प्रवेश परिषद परिषद द्वारा आवंटित छात्रों का ही प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों के विरुद्ध रहे जाने की स्थिति में उनका प्रवेश शासन के निर्देशानुसार ही समय की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/फार्मेसी काउंसिल द्वारा सत्र हेतु अनुमोदित संख्या किया जाना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश संचालन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले विज्ञापनों/प्रविष्टियों/प्रसपत्रों/प्रोस्पेक्टस आदि में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ एवं परिषद परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा जारी किये जाने वाले दिशानिर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ छात्रों का चयनित पाठ्यक्रम की संख्या वही की रहे जाई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो ऐसे स्थिति में संस्था प्रशासनिक संस्था का होगा और विभिन्न स्तर के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश संस्था को लोई भी दायित्व किसी प्रकार के होगा नहीं रहेगा।
- ✓ छात्रों द्वारा शुल्क की प्रतिपूर्ति तभी संस्था देगी जब वे संस्था परिपूर्ण संबंधित शासन को लागू होगी।
- ✓ छात्रवृत्ति हेतु फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं को लघुतम प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उपरोक्त वर्ग के लिए उपबंधित प्रवेश परिक्षा हेतु स्थापनिकित संस्था होने के पूर्व पीसीआई से लघुतम प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें संस्था की एफिलिएशन के आदेश से प्राप्त संस्था प्राप्त 10 सीट संस्था अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।
- ✓ संस्था प्रवेश संचालन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत अधिकाधिक आवेदन विज्ञापनों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने परिसर/छात्र एवं संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृद्धि सूची, स्टाफ, अध्यापकगण, प्रवेश किये जाने वाला शुल्क, आवेदन शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ छात्रों का निरीक्षण-सत्यापन हेतु उपयुक्त व्यवस्थापन उपलब्ध कराने के साथ परिषद परिषदों के उपस्थित से समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में उपलब्ध/या प्रस्तावित पाठ्यक्रम को उपजने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, सूचि-बाल, स्थलिय, उपस्थिति आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का उल्लंघन किसी अन्य मदों के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ संस्था के उपरोक्त निरीक्षण दौरान यदि उपरोक्त में कमी, कमजा, प्रवेशकाल, उपस्थान एवं अन्य सह-कमजा एआईसीटीई/एफसीआई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता

समाप्त कर दी जायेगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने उपरान्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

संख्याः- प्राशिपा/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4938 दिनांकः 09/08/2021

प्रतिलिपि:

प्रधानाचार्य/निदेशक AMBALIKA INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, MOHANLALGANJ, LUCKNOW

(सुनील कुमार सोनकर)
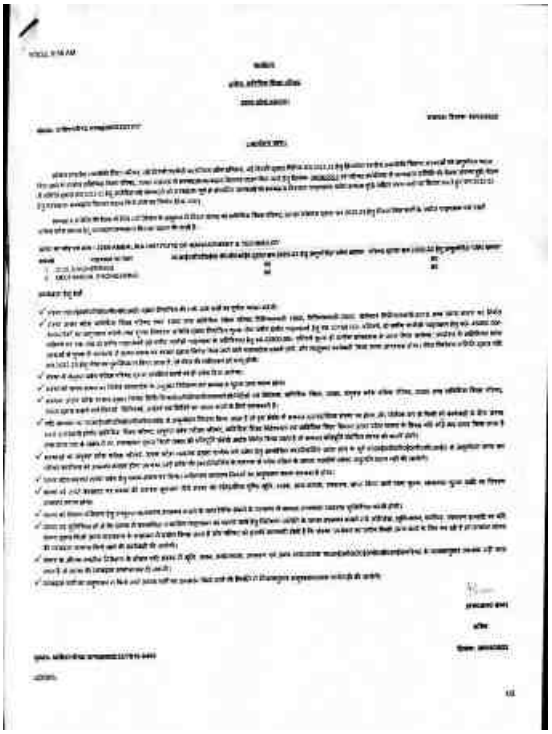
सचिव